

प्रथम अनुसूची (धारा 18 और 6 देखें)

मैं ग्राम परिषद/द्वीप परिषद के सदस्य/फर्स्ट कैप्टेन/सेकेंड कैप्टेन/वाइस चीफ कैप्टेन के रूप में चुना गया हूँ, ईश्वर के नाम पर/सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा गठित भारत के संविधान के प्रति सच्चे विश्वास और निष्ठा बनाए रखूंगा, और मैं भारत की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा और मैं बिना भय अथवा पक्षपात अथवा दुर्भाव के अपनी योग्यता, ज्ञान तथा विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को सत्यनिष्ठा से निर्वाह करूंगा ।

द्वितीय अनुसूची (धारा 27 की उपधारा (1) देखें)

ग्राम परिषद को स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में कार्य करने का प्राधिकार होगा ।

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में :-

- (क) घरेलू उपयोग और पशुओं के लिए जलापूर्ति;
- (ख) टैंकों, तथा सिंचाई के प्रयोजन और अन्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में लाए जाने वाले कुओं के अलावा सार्वजनिक सड़कों, नालों, तालाबों, टैंकों और कुओं का निर्माण और साफ सफाई;
- (ग) स्वच्छता, मलनिकासी, और उपद्रवों का रोकथाम तथा उपशमन;
- (घ) जनस्वास्थ्य का निवारण तथा सुधार, जनराहत उपलब्ध कराने वाले औषधालयों का अनुरक्षण;
- (ङ) चाय, कॉफी तथा दुग्ध दुकानों के लाइसेंसिंग अथवा अन्य तरीके से नियन्त्रण;
- (च) दहन स्थल का प्रावधान, अनुरक्षण तथा नियंत्रण;
- (छ) शवों का सुव्यवस्थित निपटान सुनिश्चित करना, बिना दावों के शवों और लाशों के निपटान के लिए सुनिश्चित स्थान का प्रावधान;
- (ज) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (झ) संक्रामक बीमारियों के उत्पन्न होने, फैलने से रोकने तथा निवारण के लिए उपाय करना;
- (ञ) हानिकारक स्थानों को ठीक करना ;